रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2015/फाल्गुन 29, 1936
No.159] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2015/PHALGUNA 29, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2015

सा.का.नि. 210(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 43 के खंड (क) के उपखंड (ii), धारा 54 की उपधारा (1) के उपखंड (घ), धारा 55 की उपधारा (2), धारा 56 की उपधारा (1), धारा 56 की उपधारा (3), धारा 62 की उपधारा (1), धारा 42 की उपधारा (2), धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (च), धारा 64 की उपधारा (1), धारा 67 की उपधारा (3) के खंड (ख), धारा 68 की उपधारा (2), धारा 68 की उपधारा (6), धारा 68 की उपधारा (9), धारा 68 की उपधारा (10), धारा 71 की उपधारा (3), धारा 71 की उपधारा (6), धारा 71 की उपधारा (13) और धारा 72 की उपधाराएं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में, -

(1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. लागू होना - इन नियमों के उपबंध निम्नलिखित कंपनियों पर लागू होंगे-"

(क) सभी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियां;

(ख) सभी प्राइवेट कंपनियां; और

(ग) सूचीबद्ध कंपनियां उस सीमा तक जहां ये नियम इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी अन्य विनियम का खंडन या विरोध नहीं करते हैं।

(2) नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (ख) में,

(क) प्रथम परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) दूसरे परंतुक में "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह कि" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) तीसरे परंतुक में "परंतु यह भी कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे;

(3) नियम 6 के उपनियम (2) के खंड (ग) में "पंद्रह दिनों के भीतर" शब्दों के स्थान पर "पैतालिस दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;

(4) नियम 12 के उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में "अथवा सहबद्ध कंपनी में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(5) नियम 13 के उपनियम (1) में,-

(क) परंतुक में "परंतु" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित परंतुक के पहले निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु किसी कंपनी द्वारा एक या एकाधिक वर्तमान सदस्यों को ही कोई अधिमान प्रस्थापना करने के मामले में, कंपनी (विवरणिका और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 के उपनियम (3) के परंतुक की अपेक्षाएं लागू नहीं होगीं"

(ख) वर्तमान परंतुक में, "परंतु यह कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे

(6) नियम 18 में,

(क) उपनियम (1) में-

(अ) खंड (घ) के उपखंड (i) और (ii) को निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(i) कंपनी की कोई विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति; या

(ii) कोई विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति जहां उपयुक्त हो, या उसमें कोई हित में:

परंतु किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के मामले में, उपखंड (i) के अधीन किसी जंगम संपत्ति पर प्रभार या गिरवी सृजित किया जा सकता है"

(आ) खंड (घ) के उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"परंतु यह और कि किसी सरकारी कंपनी जो केंद्रीय सरकार या एक या एकाधिक राज्य सरकार या दोनों द्वारा दी गई गारंटी द्वारा पूर्णत: प्रतिभूत हो, द्वारा जारी किसी डिबेंचरों के निर्गम के मामले में इस उपनियम के अधीन प्रभार के सृजन के लिए अपेक्षा लागू नहीं होगी।"

परंतु यह भी कि किसी अनुषंगी कंपनी द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए किसी ऋण के मामले में इस उपनियम के अधीन प्रभार या गिरवी होल्डिंग कंपनी की संपत्तियों या अस्तियों पर भी सृजित की जा सकती है;

(ख) उपनियम (5) में "डिबेंचरों के आबंटन के साठ दिनों के भीतर" शब्दों के स्थान पर "इश्यू या स्थापना के बंद होने के तीन मास के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (8) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् ;-

"(9) इस नियम में इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात होते हुए भी किसी कंपनी द्वारा कोई वाणिज्यिक कागज-पत्र जारी करके या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों या विनियमों या अधिसूचनाओं के अनुसार जारी किसी अन्य समान लिखत के विरूद्ध प्राप्त किसी रकम पर लागू नहीं होगी।

(10) विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपाकार रसीद प्रणाली के माध्यम) स्कीम, 1993 या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियमों या मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार जारी विदेशी करेंसी संपरिवर्तन बंधपत्र या विदेशी करेंसी बंधपत्र के किसी प्रस्ताव के मामले में इस नियम की अपेक्षाएं लागू नहीं जब तक कि ऐसे स्कीम या विनियम या मार्गनिर्देश में अन्यता उपबंधित न हो।"

(7) नियम 19 के उपनियम (11) में "प्ररूप सं. एसएच-14" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप एसएच-13" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(8) अनुलग्नक में प्ररूप सं. "एसएच-13" और "एसएच-14" के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

प्ररूप सं. एसएच-13

नामनिर्देशन प्ररूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19(1) के अनुसरण में]

IndiaCode

सेवा में,

कंपनी का नाम:

कंपनी का पता:

मैं/हम नीचे दिए गए विशिष्टियों वाले प्रतिभूतियों के धारक, नामनिर्देशन करने के इच्छुक हैं और निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्देशन करते हैं, जिनमें मेरे/हमारे मृत्यु की स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार निहित होंगे।

(1) प्रतिभूतियों का विवरण (जिनके संबंध में नामनिर्देशन किया जा रहा है)

प्रतिभूतियों का स्वरूप	फोलियो संख्या	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रमाण पत्र संख्या	विशिष्ट संख्या

(2) नामनिर्देशिती/नामनिर्देशितियों की विशिष्टियां –

(क) नाम:

(ख) जन्मतिथि:

(ग) पिता/माता/पति/पत्नी:

(घ) व्यवसाय:

(ङ) राष्ट्रीयता:

(च) पता:

(छ) ई-मेल पता:

(ज) प्रतिभूति धारक के साथ संबंध:

(3) यदि नामनिर्देशिती अव्यस्क है –

(क) जन्मतिथि:

(ख) व्यस्कता प्राप्त करने की तारीख:

(ग) संरक्षक का नाम:

(घ) संरक्षक का पता:

(4) अल्पव्यस्क नामनिर्देशिती के व्यस्कता आयु प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु के मामले में नामनिर्देशिती की विशिष्टियां

(क) नाम:

(ख) जन्मतिथि:

(ग) पिता/माता/पति/पत्नी:

(घ) व्यवसाय:

(ङ) राष्ट्रीयता:

(च) पता:

(छ) ई-मेल पता:

(ज) प्रतिभूति धारक के साथ संबंध:

(झ) अल्पव्यस्क नामनिर्देशिती के साथ संबंध:

नाम:

पता:

प्रतिभूति धारक का नाम हस्ताक्षर साक्षी का नाम और पता

प्ररूप सं. एसएच-14

नामनिर्देशन रद्द या परिवर्तित करना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 की उपधारा (3) और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के नियम 19(9) के अनुसरण में]

कंपनी का नाम:-

मैं/हम एतदद्वारा नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा (नामनिर्देशिती का नाम और पता) के पक्ष में किए गए उल्लिखित नीचे प्रतिभूतियों की बाबत नामनिर्देशन (नामनिर्देशनों) को रद्द करता हूं/करते हैं।

अथवा

IndiaCode

मैं/हम एतदद्वारा नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों के संबंध मेंके स्थान पर निम्नलिखित व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करता हूं/करते हैं, जिसे मेरी/हमारी मृत्यु होने पर ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार निहित किए जाएंगे।

(1) प्रतिभूतियों की विशिष्टियां (जिसके संबंध में नामनिर्देशन रद्द/ परिवर्तित किया जा रहा है)

प्रतिभूति का प्रकार	फोलिओ सं.	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रमाण-पत्र सं.	विशिष्ट संख्या

(2) (क) नए निर्देशिती व्यक्ति की विशिष्टियां :

(i) नाम :-

(ii) जन्मतिथि:-

(iii) पिता/माता/पति/पत्नी का नाम:-

(iv) राष्ट्रीयता:-

(v) पता:-

(vi) ई-मेल पता:-

(vii) प्रतिभूति धारक के साथ संबंध:-

(ख) यदि नया नामनिर्दिशिती अवयस्क है तो:-

(i) जन्मदिन:-

(ii) व्यस्क होने की तारीख:-

(iii) संरक्षक का नाम:-

(iv) संरक्षक क पता :-

(3) <u>यदि अवयस्क नामनिर्देशिती की प्राप्तवय पहले मृत्यु हो जाए के मामले में, निर्देशिती व्यक्ति की विशिष्टियां</u> -

(क) जन्मतिथि:-

(ख) पिता/माता/पति/ पत्नी का नाम:-

(ग) व्यवसाय:-

(घ) राष्ट्रीयता:-

(ङ) पता:-

(च) ई-मेल पता:-

(छ) प्रतिभूति धारक के साथ संबंध: (i) अव्यस्क निर्देशिती के साथ संबंध:-

हस्ताक्षर

1321GI/15-2

IndiaCode

प्रतिभूति धारक (धारकों) का/के नाम

नाम और पता सहित साक्षी

[फा. सं. 1/4/2013-सीएल-V (भाग-1)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 265(अ), तारीख 31.03.2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि.सं. 413(अ), तारीख 18 जून, 2014 के द्वारा उसमें संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the18th March, 2015

G.S.R. 210(E).—In exercise of the powers conferred under sub-clause (ii) of clause (a) of section 43, sub-clause (d) of sub-section (1) of section 54, sub-section (2) of section 55, sub-section (1) of section 56, sub-section (3) of section 56, sub-section (1) of section 62, sub-section (2) of section 42, clause (f) of sub-section (2) of section 63, sub-section (1) of section 64 , clause (b) of sub-section (3) of section 67, sub-section (2) of section 68, sub-section (6) of section 68, sub-section (9) of section 68, sub-section (10) of section 68, sub-section (3) of section 71, sub-section (6) of section 71, sub-section (13) of section 71 and sub-sections (1) and (2) of section 72, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Share Capital and Debenture) Rules, 2014,-

(1) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

3. Application.- The provisions of these rules shall apply to -

(a) all unlisted public companies;

(b) all private companies; and

(c) listed companies so far as they do not contradict or conflict with any other regulation framed in this regard by the Securities and Exchange Board of India;

(2) in rule 5, in sub-rule (3), in clause (b),

(a) the first proviso shall be omitted;

(b) in the second proviso for the words "provided further that", the words "provided that" shall be substituted;

(c) in the third proviso for the words "provided also that" the words "provided further that" shall be substituted;

(3) in rule 6, in sub-rule (2), in clause (c), for the words "within fifteen days", the words "within forty-five days" shall be substituted;

(4) in rule 12, in sub-rule (1), in the Explanation, in clause (c), the words "or of an associate company" shall be omitted;

(5) in rule 13, in sub-rule (1), -

(a) in the proviso, for the words "provided that" the words "provided further that" shall be substituted and before the proviso as so amended, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of any preferential offer made by a company to one or more existing members only, the provisions of sub-rule (1) and proviso to sub-rule (3) of rule 14 of Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 shall not apply."

(6) in rule 18,-

(a) in sub-rule (1) -

(A) in clause (d), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:-

"(i) any specific movable property of the company ; or

(ii) any specific immovable property wherever situate, or any interest therein:

Provided that in case of a non-banking financial company, the charge or mortgage under sub-clause (i) may be created on any movable property"

(B) in clause (d), after sub-clause (ii), following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that in case of any issue of debentures by a Government company which is fully secured by the guarantee given by the Central Government or one or more State Government or by both, the requirement for creation of charge under this sub-rule shall not apply."

Provided also that in case of any loan taken by a subsidiary company from any bank or financial institution the charge or mortgage under this sub-rule may also be created on the properties or assets of the holding company;

(b) in sub-rule (5), for the words "within sixty days of allotment of debentures", the words "within three months of closure of the issue or offer" shall be substituted;

(c) after sub-rule (8), following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(9) Nothing contained in this rule shall apply to any amount received by a company against issue of commercial paper or any other similar instrument issued in accordance with the guidelines or regulations or notification issued by the Reserve Bank of India.

(10) In case of any offer of foreign currency convertible bonds or foreign currency bonds issued in accordance with the Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993 or regulations or directions issued by the Reserve Bank of India, the provisions of this rule shall not apply unless otherwise provided in such Scheme or regulations or directions."

(7) in rule 19, in sub-rule (11), for the word, letters and figures "Form No. SH-14", the word, letters and figures "Form SH-13" shall be substituted.

(8) in the Annexure, for "Form SH-13" and "Form SH-14", the following Forms shall respectively, be substituted, namely:-

IndiaCode

Form No. SH-13

Nomination Form

[Pursuant to section 72 of the Companies Act, 2013 and rule 19(1) of* the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014*]

To
Name of the company:
Address of the company:

I/We the holder(s) of the securities particulars of which are given hereunder wish to make nomination and do hereby nominate the following persons in whom shall vest, all the rights in respect of such securities in the event of my/our death.

(1) PARTICULARS OF THE SECURITIES (in respect of which nomination is being made)

Nature of securities	Folio No.	No. of securities	Certificate No.	Distinctive No.

(2) PARTICULARS OF NOMINEE/S —
(a) Name:
(b) Date of Birth:
(c) Father's/Mother's/Spouse's name:
(d) Occupation:
(e) Nationality:
(f) Address:
(g) E-mail id:
(h) Relationship with the security holder:

(3) IN CASE NOMINEE IS A MINOR--

(a) Date of birth:
(b) Date of attaining majority
(c) Name of guardian:
(d) Address of guardian:

(4) PARTICULARS OF NOMINEE IN CASE MINOR NOMINEE DIES BEFORE ATTAINING AGE OF MAJORITY

(a) Name:
(b) Date of Birth:
(c) Father's/Mother's/Spouse's name:
(d) Occupation:
(e) Nationality:
(f) Address:
(g) E-mail id:
(h) Relationship with the security holder:(i) Relationship with the minor nominee
Name:
Address:

Name of the Security Holder(s) Signature Witness with name and address

IndiaCode

Form No. SH-14

Cancellation or Variation of Nomination

[Pursuant to sub-section (3) of section 72 of the Companies Act, 2013 and rule 19(9) of* the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014*]

Name of the company:

I/We hereby cancel the nomination(s) made by me/us in favour of.....(name and address of the nominee) in respect of the below mentioned securities.

Or

I/We hereby nominate the following person in place of as nominee in respect of the below mentioned securities in whom shall vest all rights in respect of such securities in the event of my/our death.

(1) PARTICULARS OF THE SECURITIES (in respect of which nomination is being cancelled/varied)

Nature of securities	Folio No.	No. of securities	Certificate No.	Distinctive No.

IndiaCode

(2) (a) PARTICULARS OF THE NEW NOMINEE:

i. Name:

ii. Date of Birth:

iii. Father's/Mother's/Spouse's name:

iv. Nationality:

v. Address:

vi. E-mail id:

vii. Relationship with the Security holder:

(b) IN CASE NEW NOMINEE IS A MINOR—

i. Date of Birth:

ii. Date of attaining majority—

iii. Name of guardian:

iv. Address of guardian:

(3) PARTICULARS OF NOMINEE IN CASE MINOR NOMINEE DIES BEFORE ATTAINING AGE OF MAJORITY

(a) Name:

(b) Date of Birth:

(c) Father's/Mother's/Spouse's name:

(d) Occupation:

(e) Nationality:

(f) Address:

(g) E-mail id:

(h) Relationship with the security holder:(i) Relationship with the minor nominee

Signature

Name of the Security

Holder (s)

Witness with name and address

[F. No. 1/4/2013-CL-V (Pt. I)]

AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 265(E), dated 31st March, 2014 and subsequently amended vide G.S.R. Number 413(E) dated 18th June, 2014.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.